न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/27/2025	2025/178	20.08.2025	24.03.2026

1. तारादेवी पुत्र पन्ना लाल जाति माली निवासी पटायरी की डूंगरी, राजगढ़ तहसील राजगढ़, जिला अलवर, राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर राज0।
2. दीपकचन्द पुत्र रणजीत जाति माली निवासी ग्राम आम की वाल, तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—असल रेस्पोडेण्ट्स

3. घनश्याम पुत्र पन्ना लाल जाति माली,
4. गुलाब पुत्र पन्ना लाल जाति माली,
5. फूली देवी पुत्री पन्ना लाल जाति माली,
6. गीता देवी पुत्री पन्ना लाल जाति माली,

निवासीयान पटायरी की डूंगरी, राजगढ़ तहसील राजगढ़, जिला अलवर, राज0।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध तहसीलदार राजगढ़, इंतकाल संख्या 1445 दिनांक 24.07.2002 वाके ग्राम राजगढ़, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01.श्री मनोहर लाल यादव, श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट

02.श्री शौकत खान, मुकेश व्यास —वकील रेस्पोडेंट्स

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील, अपीलांट तारा देवी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश/स्वीकृत इंतकाल संख्या 1445 दिनांक 24.07.2002 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया अपीलान्ट का नाना श्री गंगल पुत्र हरिराम जाति माली निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर का स्वर्गवास अर्सा करीब 20 साल पूर्व हो चुका है। प्रार्थीया अपीलान्ट के नाना श्री गंगल पुत्र हरिराम हाल आराजी खसरा नम्बर 1422/0.03, 1423/0.19, 1439/0.51, 1448/0.05, 1456/0.52, 1469/0.12. 1470/0.08, 1471/0.30, 1495/0.36, 1757/0.10, 1774/0.15 कुल किता 11 रकबा 2.41 है0 वाके राजगढ, तहसील राजगढ जिला अलवर का 1/6 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार था जो अपने जीवनकाल तक अपना हिस्सा की आराजी का काबिज होकर काश्त करता था। अपीलान्ट के नाना श्री गंगल राम की मृत्यू के पश्चात गंगल राम के हिस्से की उक्त आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पर उसके वारिस मृतक गंगल की पत्नि श्रीमति नारायणी एंव पुत्री गंगा देवी जो कि अपीलान्ट की माता थी बहिस्सा बराबर–बराबर अनुसार काबिज होकर काश्त करने लग गई।

अपीलान्ट के नाना मृतक गंगल राम की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मृतक गंगल राम उपरोक्त आराजी का विरासत का नामतकरण संख्या 1445 वाके राजगढ दिनांक 30.05.2002 को दर्ज किया गया था जिसमें रैस्पा० संख्या 2 दीप चन्द पुत्र रणजीत जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर ने पटवारी हल्का से साज बाज होकर अपने आपको मृतक गंगल का पुत्र होना दर्ज कराते हुये मृतक गंगल के वारिसान का शजरा में अपना नाम दर्ज करा लिया और नामांतकरण संख्या 1445 वाके राजगढ का निर्णय भूमिधारी तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर से 24.07.2002 को फैसला कराया जाकर रैस्पा० संख्या 02 दीप चन्द ने अपने आपकों मृतक गंगल राम के हिस्सा की उपरोक्त आराजी के रिकार्ड में 1/3 हिस्सा का खातेदार होना दर्ज करा लिया जिस निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीया अपीलान्ट की और से अपील निम्न वजुवहात के साथ माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है। निर्णय दिनांक 24.07.2022 तहसीलदार साहब राजगढ बाबत नामांतकरण संख्या 1445 वाके राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर खिलाफ कानूनन, मनमाना व कयासिया आधार पर आधारित होने से रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

नामांतकरण की कार्यवाही एक जुडिशियल कार्यवाही है जिसमें नामांतकरण का निर्णय किये जाने से पूर्व मृतक के वारिसान के नाम पता व दरसतावेज जिसके आधार पर नामांतकरण दर्ज वो फैसला किया गया है का पूर्ण अवलोकन व विवेचन किया जाना चाहिऐ था लेकिन जैसा नामांतकरण संख्या 1445 वाके राजगढ तहसील राजगढ दर्ज वो फैसला किया गया है से स्पष्ट है कि जैसा पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण दर्ज किया गया है को न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर द्वारा स्वीकार कर दिया गया जिसमें रैस्पा० संख्या 2 दीप चन्द पुत्र रणजीत जाति माली निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ को गलत तरीके से मृतक गंगल का पुत्र होना दर्ज किया जाकर नामंतकरण का फैसला किया है जिसमें मृतक गंगलराम के हिस्सा कब्जा व खातेदारी की आराजी वाके राजगढ गलत तरीके से रैस्पा० दीप चन्द को 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज कर दिया जिसके कारण उक्त नामंतकरण का निर्णय प्रभावित हुआ है इसलिऐ उक्त निर्णय रिमाण्ड किया जाकर दुरूस्ती का मोहताज है तथा काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

न्यायालय श्रीमान तहसीदार साहब राजगढ जिला अलवर को उक्त नामांतकरण का निर्णय किये जाने से पूर्व मृतक व्यक्ति के वारिसान के नाम व पते की पूर्ण जॉच पडताल की जानी चाहिऐ थी और उज्रदारी नोटिस भी जारी किये जाने चाहिऐ लेकिन न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये जैया पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण दर्ज किया गया है को फैसला कर दिया जिसमें असल रैस्पा० संख्या 02 दीप चन्द को मृतक गंगल राम का पुत्र होना गलत तरीके से दर्ज किया गया है।

अपीलान्ट के नाना मृतक गंगल राम के इकलौती सन्तान (पुत्री) अपीलान्ट की माता गंगा देवी के अतिरिक्त अन्य कोई सन्तान नहीं थी तथा अपीलान्ट के नाना गंगल राम की मृत्यू के समय प्रार्थीया अपीलान्ट की माता गंगादेवी व अपीलान्ट नानी मु० नारायणी देवी थी और मृतक गंगल राम का विरासत का नांमातकरण प्रार्थीया अपीलान्ट की माता गंगा देवी व अपीलान्ट की नानी नारायणी देवी के नाम दर्ज किया जाना चाहिऐ था लेकिन असल रैस्पा० संख्या 02 दीप चन्द ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने आपको मृतक गंगल राम का पुत्र होना वारिसान के शजरा में दर्ज करा लिया और उक्त नामांतकरण का निणय न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ से साज बाज होकर फैसला करा लिया जिस नामांतकरण के निर्णस से अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पा० जो कि मृतक गंगल राम की पुत्री श्रीमति गंगा देवी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पुत्र व पुत्रीया हे कि हकूक खातेदारी प्रभावित हो गये है। इस कारण उक्त निर्णय बाबत नामांतकण संख्या 1445 वाके राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर रिमाण्ड किया जाकर दुरूस्त का मोहताज है काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

प्रार्थीया अपीलान्ट की नानी मु० नारायणी देवी एंव प्रार्थीया अपीलान्ट की माता गंगा देवी की मृत्यू हो चूकी है। प्रार्थी अपीलान्ट की माता गंगा देवी की विरासत का नांमातकरण संख्या 3238 दिनांक 13.09.2019 को एंव अपीलान्ट की नानी नारायणी देवी की विरासत का नामातंकरण संख्या 3247 दिनांक 10.10.2019 को प्रार्थीया अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पा० के नाम दर्ज हुआ है इससे भी स्पष्ट साबित है कि अपीलान्ट के नाना गंगल राम के प्रार्थीया अपीलान्ट की माता गंगादेवी इकलौती थी लेकिन असल रैस्पा० संख्या 02 दीप चन्द ने अपने आपको गलत तरीके से मृतक गंगल राम का पुत्र होना जाहिरर करते हुये मृतक गंगलराम के वारिसान के शजरा में पटवारी हल्का से साज बाज होकर अपना नाम दर्ज करा लिया इस आधार पर भी उक्त निर्णय रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

निर्णय बाबत नामांतकरण संख्या 1445 निर्णय दिनांक 24.07.2002 न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ के विरूद्ध अपील एक माह की अवधि में दिनांक 23.08.2002 तक पेश की जानी चाहिऐ थी लेकिन उक्त नामांतकरण का निर्णय का सर्वप्रथम इल्म प्रार्थीया अपीलान्ट को दिनांक 15.12.2020 को हुआ जबकि अपीलान्ट ने अपनी उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में रैस्पा० संख्या 02 दीप चन्द को प्रार्थीया अपीलान्ट के नाना गंगा का पुत्र होना दर्ज करते हुये 1/18 हिस्सा का खातेदार दर्ज कर रखा है जिस पर अपीलान्ट ने अपने नाना मृतक गंगल राम की विरासत का नामांतकरण की नकल के लिऐ 14/7/23 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 18/7/23 को प्राप्त हुई उसके प्रार्थीया अपीलान्ट बिमार हो जाने एंव इसी दौरान कोरोनो वायरस महामारी के चलते हुये अपील पेश नहीं कर सकी और अपील पेश करने में देरी हो गई जिस देरी को कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र पृथक से अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय नामांतकरण संख्या 1445 वाके राजगढ तहसील राजगढ निर्णय दिनांक 24.07.2002 न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला अलवर को रिमाण्ड किया जावे तथा उक्त नामांतकरण में असल रैस्पा० संख्या 02 दीप चन्द को मृतक गंगल का पुत्र होना गलत तरीके से दर्ज करते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 1422/0.03, 1423/0.19, 1439/0.51, 1448/0.05. 1456/0.52, 1469/0.12, 1470/0.08, 1471/0.30, 1495/0.36, 1757/0.10, 1774/0.15 कुल किता 11 रकबा 2.41 है० वाके राजगढ के रिकार्ड में मृतक गंगलराम का 1/6 हिस्सा की आराजी 1/3 यानि उक्त सालिम आराजी के 1/18 हिस्सा की आराजी का खातेदार दर्ज किया गया है, का नाम हटाया जावे तथा प्रार्थीया अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पा० को अपीलान्ट की माता गंगा देवी व नानी नारायणी देवी की विरासत का नामांतकरण संख्या 3238 व 3247 को मददे नजर रखते हुये मृतक गंगा राम का सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावे इसी कदीर उक्त निर्णय को संशोधित करने की कृपा करे, अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थीया अपीलान्ट को प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मृतक गंगल पुत्र हरिराम जाति माली निवासी आमकीवाल मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के असल पिता रणजीता का सगा भाई था जिसके कोई सुलबी लडका नहीं था मात्र एक पुत्री वादी की माता गंगादेवी थी। श्री गंगल ने मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को बाल्यावस्था में हीं जबकि मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की आयु करीब 1 वर्ष थी को मिन रेस्पो. के असल पिता से ले

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

लिया और अपना पुत्र बना लिया तभी से मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मृतक गंगल के पास बतौर पुत्र के रहने लगा तथा मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का पालन पोषण गंगल व उसकी पत्नी नारायणी देवी द्वारा किया गया है तथा गंगल की मृत्यु के पश्चात उसके सारे किया कर्म मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से कराये गये थे तथा गंगल की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 1445 गंगल की पत्नी नारायणी देवी द्वारा अपने स्वयं के नाम व मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम तथा अपीलाण्ट की माता गंगादेवी जो कि मृतक गंगल की पुत्री थी, के नाम सहीं प्रकार से विधि अनुसार दर्ज कराया गया था जिसमें स्वयं अपीलाण्ट की माता गंगा देवी की पूर्ण सहमति थी। मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की माता नारायणी देवी की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामांतकरण अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेण्ट जो कि मृतक गंगा देवी के पुत्र व पुत्रीयां के नाम व मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम दर्ज किया जाना चाहिऐ था लेकिन अपीलार्थी ने बदयान्तिपूर्वक मृतक नारायणी देवी की विरासत का नामांतकरण अपने स्वयं के नाम व तरतीबी रेस्पो. के नाम गलत दर्ज कराया है मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मृतक नारायणी देवी के हिस्सा की आराजी का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलाण्अ ने यह अपील कतई झूठे व मनगढन्त तथ्यों का महज मिन असल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को तंग वो परेशान करने की नियत से पेश की है जो काबिल खारिज है। अपीलाण्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1445 दिनांक 24.07.2002 के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में करीब 18 वर्षों के लम्बे अन्तराल के पश्चात् अपील दिनांक 14.07.2023 को पेश की है तथा इस देरी के लिए कोई युक्तियुक्त जवाब भी नहीं दिया गया है। मियाद बाहर होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। अपीलाण्ट दत्तक पुत्र को अलग करना चाहते है। यह अपील बदयान्तिपूर्वक पेश की गई है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। यह अपील अत्यधिक विलंब लगभग 21 वर्ष से प्रस्तुत की गई है। परंतु, अपील में महत्वपूर्ण विधिक तथ्य निहित होने तथा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिंदु पर न्यायहित में नरमी का रुख अपनाने के प्रतिपादित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी के विलंब को माफ किया जाता है एवं अपील को सुनवाई हेतु अंदर मियाद स्वीकार किया जाता है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलार्थी का तर्क है कि मृतक गंगल अपीलांट के नाना की मृत्यु के पश्चात् उनकी 1/6 हिस्से की भूमि पर उनकी पत्नी नारायणी एवं एकमात्र पुत्री गंगा देवी अपीलांट की माता का अधिकार था। रेस्पोंडेंट संख्या 2 दीपकचंद ने पटवारी से साज–बाज कर स्वयं को मृतक का पुत्र दर्शाते हुए गलत तरीके से इंतकाल संख्या 1445 दिनांक 24.07.2002 दर्ज करवा लिया।

रेस्पोंडेंट अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मृतक गंगल का कोई सगा पुत्र नहीं था, उन्होंने बाल्यावस्था 1 वर्ष की आयु में ही अपने सगे भाई रणजीत के पुत्र दीपकचंद (रेस्पोंडेंट संख्या 2) को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। दीपकचंद का पालन–पोषण गंगल एवं नारायणी देवी ने किया और उनके अंतिम संस्कार भी उसी ने किए। इंतकाल संख्या 1445 नारायणी देवी एवं गंगा देवी (अपीलांट की माता) की पूर्ण सहमति से विधि अनुसार दर्ज हुआ था। इतने वर्षों बाद दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो खारिज होने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का गहनता से मनन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 मृतक गंगल का पुत्र नहीं है, जबकि रेस्पोंडेंट स्वयं को दत्तक पुत्र बताता है। विवादित इंतकाल संख्या 1445 दिनांक 24.07.2002 को स्वीकृत हुआ था। उस समय मृतक गंगल की विधवा नारायणी देवी एवं उनकी पुत्री गंगा देवी जो अपीलार्थी की माता हैं, दोनों जीवित थीं। यदि रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने धोखाधड़ी से स्वयं को दत्तक पुत्र या वारिस दर्ज करवाया था, तो सर्वप्रथम नारायणी देवी या गंगा देवी को अपने जीवनकाल में इस इंतकाल को चुनौती देनी चाहिए थी। उनके द्वारा जीवनपर्यंत कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराना, रेस्पोंडेंट के इस तर्क को बल प्रदान करता है कि उक्त इंतकाल पारिवारिक सहमति से दर्ज हुआ था। दत्तक ग्रहण की वैधता या अवैधता का निर्धारण नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी यदि चाहे तो अपने अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में विधिवत वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार, नामान्तरकरण केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है। यह न तो किसी के स्वत्व का सृजन करता है और न ही उसे समाप्त करता है। 21 वर्ष पुराने स्वीकृत इंतकाल को, जिसके आधार पर लंबे समय से अधिकार चले आ रहे हो। अपीलार्थी अपनी माता गंगा देवी के अधिकारों के माध्यम से दावा कर रही है, जबकि स्वयं गंगा देवी ने 2002 के नामान्तरकरण को कभी चुनौती नहीं दी। अतः बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के, इस स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड में हस्तक्षेप करना विधिक रूप से उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 1445 दिनांक 24.07.2002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर